छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 325 / 2006</u>

श्री जवाहर नागदेव,
सी–3 आर. डी. ए. बिल्डिंग,
शारदा चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 28 जून 2007)

अपीलार्थी श्री जवाहर नागदेव के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर से 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही। किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर के आदेश दिनांक 21–07–2006 के पश्चात् भी उसे बिन्दुवार पूर्ण जानकारी नहीं दी गई।

2/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाये को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में बतलाया कि उसके द्वारा दिनांक 11–05–2006 को बिन्दु क्रमांक–01 से लेकर 04 तक की जानकारी दी थी, केवल श्री कुर्रे जो कि संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें कार्यालय में पदस्थ नहीं है उनकी संपत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं होने से नहीं दी गई। दिनांक 09–10–2006 को अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के लिये जन सूचना अधिकारी प्रभारी संयुक्त पंजीयक को उत्तरदायी बतलाया। अतः उनके विरूद्ध 10,000/– रुपये (दस हजार रुपये मात्र) का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री रायस्थ के द्वारा समय माँगे जाने पर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने हेतु समय दिया गया। उनके द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया।

3/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी तथा प्रभारी संयुक्त पंजीयक के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा निम्नानुसार 04 बिन्दुओं पर जानकारी माँगी गई थी :–

(1) क्या सहकारिता विभाग में जो प्रकरण दर्ज किये जाते हैं उनके निराकरण की कोई तिथि तय है।

(2) 1980 से आज तक कितने प्रकरण तयशुदा समय में निपटाये गये।

(3) जो प्रकरण समय पर नहीं निपटे हैं उन्हें कितना समय लगा और क्यों।

(4) उप पंजीयक श्री कुर्रे एवं श्री रायस्थ के परिवार के सदस्यों और उनके स्वयं के नाम पर तथा उनके ससुराल पक्ष के सदस्यों के नाम पर क्या–क्या संपत्ति है।

उपरोक्तानुसार बिन्दुवार जानकारी दी जावे। जन सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 11–05–2006 के अनुसार अपीलार्थी को संयुक्त पंजीयक से प्राप्त जानकारी के आधार पर जानकारी दी गई कि प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1980 से दर्ज प्रकरणों का निराकरण भी न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। लंबित प्रकरणों का भी निराकरण किया जा रहा है। श्री रायस्थ के द्वारा स्वयं अपने, अपने भाईयों एवं ससुराल पक्ष से अपने साले की संपत्ति का विवरण दिया गया। श्री कुर्रे की संपत्ति का विवरण दिनांक 20–11–2006 को अपीलार्थी को दिया गया। प्रतिअपीलार्थी ने अपने तर्क में यह भी बतलाया कि सहकारिता अधिनियम में प्रकरणों के निराकरण के लिये कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। प्रकरण के गुण–दोषों एवं प्रकरण की जटिलता के आधार पर प्रकरणों में समय लगता है तथा प्रकरणों का निराकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि प्रकरणों के निराकरण की समय–सीमा नहीं बतलाई गई एवं जानकारी विलम्ब से दी गई। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा संयुक्त पंजीयक से प्राप्त जानकारी दिनांक 11–05–2006 को अर्थात् निर्धारित अवधि के एक दिन पश्चात् दी गई है। श्री कुर्रे का संपत्ति का विवरण दिनांक 20–11–2006 को दिया गया। जन सूचना अधिकारी का यह कथन है कि श्री कुर्रे उनके कार्यालय में पदस्थ नहीं होने से उनकी जानकारी विलम्ब से प्राप्त होने पर जानकारी अपीलार्थी को दी गई। प्रकरण से स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी पूर्व में केवल एक दिन विलम्ब से दी गई है तथा श्री कुर्रे से प्राप्त जानकारी भी अपीलार्थी को प्रदान की गई। जन सूचना अधिकारी ने जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी विलम्ब से नहीं दी। अपीलार्थी का यह तर्क कि प्रकरण की समय–सीमा की जानकारी नहीं दी गई, मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसा कि प्रतिअपीलार्थी ने बतलाया कि प्रकरण के निराकरण की कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। अतः जन सूचना अधिकारी अपनी ओर से प्रकरण के निराकरण की समय–सीमा अपीलार्थी को नहीं बतला सकता।

4/ जन सूचना अधिकारी ने जानकारी विलम्ब से देने के लिये प्रभारी संयुक्त पंजीयक श्री रायस्थ को उत्तरदायी बतलाया था, जिससे उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20(1) के अंतर्गत 10,000/– रुपये (दस हजार रुपये मात्र) की शास्ति का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया गया। उनके द्वारा नोटिस के जवाब में बतलाया गया कि अपीलार्थी के आवेदन–पत्र में दर्शित बिन्दु क्रमांक–1, 2 और 3 की जानकारी दिनांक 26–4–2006 को ही जन सूचना अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई थी तथा बिन्दु क्रमांक–4 की जानकारी 11–05–2006 को उपलब्ध करा दी गई। अतः जन सूचना अधिकारी को जानकारी दे दी गई, जिसमें कोई भी जानकारी त्रुटिपूर्ण नहीं है। अभिलेखों से भी यह स्पष्ट होता है कि प्रभारी संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाये के द्वारा दिनांक 26–04–2006 को जन सूचना अधिकारी को बिन्दुवार जानकारी दी है, जिसमें कि बिन्दु क्रमांक–4 की जानकारी स्थापना शाखा से संबंधित बतलाई गई है। प्रभारी संयुक्त पंजीयक ने स्वयं अपनी ओर से अपने व अपने परिवार के तथा ससुराल

पक्ष के सदस्यों की संपत्ति की जानकारी दी है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि अधिनियम में प्रकरणों के निराकरण की कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। प्रकरण अर्द्धन्यायिक स्वरूप के होते हैं, अतः समय–सीमा निर्धारित नहीं होने से समय–सीमा की जानकारी दिया जाना संभव नहीं था। अतः प्रभारी संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाये विलम्ब से अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के लिये दोषी नहीं है, अतः उनके विरूद्ध जारी किया गया कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

5/ उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थ्झी को नियमानुसार पूर्ण जानकारी दे दी गई। बिन्दु क्रमांक–4 की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त होने के पश्चात् दी गई है, किन्तु यह विलम्ब जानबूझकर अथवा जानकारी नहीं देने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। अतः जन सूचना अधिकारी एवं प्रभारी संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, रायपुर के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त निर्देश के साथ अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त